

**U.P Housing and Development Board**  
**List of Hotel & Hospital plots for E-auction dated 11-08-2025**

S.No.	Auction ID	Zone Name	City	Yojna/apartment name	Property No.	Property Type	Area of Property (Sqm.)	FAR	Reserve Price	Property Cost	Token Amount	Reservation Category	Rera Reg. No. if Applicable
1	46913	Meerut	Ghaziabad	Mandola Vihar Yojna, Ghaziabad	16B/Nursing Home/02	Nursing Home Plot	719.00	1.5	46250	33217800.00	3321780	Unreserved/General/None	NA
मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।													
आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा।													
यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवेध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जम्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।													
ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल उपलब्ध हैं। रera में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रera पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है।													
परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां "जहां है जैसे हैं" के आधार पर निस्तारित की जाएंगी।													
समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय भूखण्डों पर भौतिक कब्जा प्राप्ति के 05 वर्ष के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ससमय निर्माण पूर्ण न किए जाने की दशा में नियमानुसार अन्तिम शल्क/समयवृद्धि शल्क देय होगा।													
परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय/शैक्षणिक सम्पत्तियां परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन निस्तारित की जाएंगी।													
यदि किसी सम्पत्ति के विरुद्ध एकल बोली प्राप्त होती है तो मा० परिषद की 268वीं बॉर्ड बैठक के मद संख्या-268/20 पर अनुमोदित प्रस्ताव के अधीन निर्णय लिया जाएगा।													